संख्या- 219 /2025/1223/चार-2025-1917414

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 17 अप्रैल, 2025**

विषय:- श्री देवी मेला एवं ग्राम सुधार प्रदर्शनी मेले में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-02/सं0नि0-15(148)/2024-225, दिनांक 01 अप्रैल, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निम्नलिखित सारिणी में अंकित विवरणानुसार श्री देवी मेला एवं ग्राम सुधार प्रदर्शनी मेले में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पर के आयोजन में कलाकारों के मानदेय पर व्यय होने वाली धनराशि रूपये 3.32 लाख की प्रशासकीय एवं स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

क्रं0	दिनांक	कलाकार का नाम	दल संख्या	मोबाइल नं०	विधा	मानदेय (किराया सहित)
1.	02.04.2025	श्री नरेन्द्र साहू, लखनऊ	8	9415545563	लोक गायन	45,000.00
2.	03.04.2025	सुश्री शिखा श्रीवास्तव, लखनऊ	8	9889371949	भजन/लोक गायन	52,000.00
3.	04.04.2025	श्री तहेन्दर बेनीवाल, मथुरा	8	8630199010	भजन/रागिनी गायन	45,000.00
4.	07.04.2025	सुश्री सृष्टि सिंह परिहार, लखनऊ	8	9519479636	लोक गायन	45,000.00
5.	08.04.2025	सुश्री मोनिका सिंह, लखनऊ	8	9621411222	लोक गायन	45,000.00
6.	14.04.2025	सुश्री अनुपमा राग, लखनऊ	8	9450911333	भजन गायन	1,00,000.00
योग (रु० तीन लाख बत्तीस हजार मात्र)						**3,32,000.00**

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार श्री देवी मेला एवं ग्राम सुधार प्रदर्शनी मेले में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पर के आयोजन में कलाकारों के मानदेय पर व्यय होने वाली धनराशि रूपये 3.32 लाख **(रूपये तीन लाख बत्तीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की द्विरावृत्ति न होने पाए।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने में राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(6) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान नियमानुसार वास्तविक बिल/बाउचर्स के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी। -

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(8) स्वीकृत धनराशि का संबंधित संस्था/संस्थान को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित कराया जायेगा।
(9) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(11) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।